राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1093/2011

राजेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर।
4. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी सह ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति नदबई, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.08.2011
आदेश की दिनांक : 18.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बाबूलाल शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति से मूल वेतन का 5 प्रतिशत प्रत्येक माह विकलांग वाहन भत्ता पांचवां वेतन आयोग लागू होने तक एवं तत्पश्चात् 3 प्रतिशत नियमानुसार उक्त भत्ता दिए जाने एवं शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान कराए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है और उसकी नियुक्ति विकलांग कोटे के अंतर्गत आदेश दिनांक 06.11.1999 के द्वारा हुई है। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नगला हेमा, पंचायत समिति, नदबई, जिला भरतपुर कार्य कर रहा है। जबकि राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1998 के अंतर्गत आंखों एवं हड्डियों आदि से विकलांग राजकीय कर्मचारियों को आदेश दिनांक 02.05.1998 के द्वारा विकलांग वाहन भत्ता दिए जाने

का आदेश जारी किया गया है और बाद में इसे वर्ष 2008 में मूल वेतन का तीन प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त भत्ते के संबंध में अपीलार्थी ने आवेदन विभाग को दिया। परंतु विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए वापिस कर दिया गया। परंतु दिनांक 01.12.2010 से अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.01.2011 के द्वारा 300 रूपये प्रति माह स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलार्थी ने वर्ष 1999 में कार्यग्रहण किया था, परंतु उसे प्रथम नियुक्ति दिनांक से उक्त भत्ता का लाभ नहीं दिया गया, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति से मूल वेतन का 5 प्रतिशत प्रत्येक माह विकलांग वाहन भत्ता पांचवां वेतन आयोग लागू होने तक एवं तत्पश्चात् 3 प्रतिशत नियमानुसार उक्त भत्ता दिए जाने एवं शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतान कराए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई थी और नियुक्ति आदेश में मासिक विकलांग वाहन भत्ता देय किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख अंकित नहीं है। अपीलार्थी अनावश्यक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अपीलार्थी पूर्व में जैसलमेर में कार्यरत था और जैसलमेर से भरतपुर जिले में स्थानान्तरण होकर पदस्थापित हुआ है। विभाग को विकलांग वाहन भत्ता देय किया जाना चाहिए, जो विभाग द्वारा देय नहीं किया गया। इस संबंध में पत्राचार भी किए गए। अपीलार्थी ने 12 वर्षों बाद विलंब से अपील प्रस्तुत की। इसलिए अपीलार्थी की अपील सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति विकलांग कोटे के अंतर्गत आदेश दिनांक 06.11.1999 के द्वारा हुई है। अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.01.2011 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.12.2010 से राजस्थान सिविल सेवा (वेतन पुनरीक्षित) नियम, 2008 के अंतर्गत मूल वेतन का 3 प्रतिशत मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया है। जहां तक अपीलार्थी

को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत नहीं किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की तिथी से प्रत्यर्थी विभाग को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसमें जिस तिथी से अपीलार्थी को विकलांग वाहन भत्ता विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। उसका उल्लेख करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के नियमों, परिपत्रों एवं न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार उक्त लाभ पर विचार कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन का दो माह में निस्तारण करें, जिसकी सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)